संख्याः-02/2018/810/24-पी-2-17-सा0(84)/2014

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

ऊर्जा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2018

विषय - कोषागार के माध्यम से ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, लखनऊ के पत्रांक-767/ट्रस्ट/पेंशन/कोषागार भुगतान दिनांक 06-05-2017 द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि ऊर्जा कम्पनियों के अनन्तिम पेंशन भोक्ताओं की अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागारों के माध्यम से कराया जाय।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनके सेवानैवृत्तिक लाभों पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, की अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागारों के माध्यम से अधोलिखित प्रक्रियानुसार किया जायेगा-

(1) अनन्तिम पेंशन के भुगतान हेतु संबंधित जनपद के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिमाह अनन्तिम पेंशन भुगतान संबंधी आदेश के साथ संगत ट्रेजरी बिल फॉर्म पर अनन्तिम पेंशन के भुगतान हेतु बिल संबंधित निगम के अधिकृत अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार मे प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) कोषागार से अनन्तिम पेंशन के प्रथम भुगतान के अवसर पर पेंशनर द्वारा कोषागार मे उपस्थित होकर अपनें बैंक खाते (जिसमें पेंशन भुगतान प्राप्त किया जाना है) की पासबुक की मूलप्रति एवं पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति कोषागार मे प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कोषागार द्वारा अनन्तिम पेंशन की राशि पेंशनर के उपर्युक्त बैंक खाते में ई-पेमेंट द्वारा अन्तरित की जायेगी।

(4) कार्यालयाध्यक्ष एवं बिल प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे।

(5) ऊर्जा कंपनियों के वे सभी अनन्तिम पेंशन भोक्ता इस आदेश से आच्छादित होंगे जिन्हे पूर्व से अनन्तिम पेंशन स्वीकृत है अथवा इस आदेश के जारी होने के बाद अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

(6) अन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत हो जाने पर कोषागार से प्रथम भुगतान के अवसर पर, संबंधित पेंशनर को भुगतानित अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी का समायोजन करते हुए भुगतान किया जायेगा।

3- यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे। माह अप्रैल, 2018 से कोषागारों के माध्यम से अनन्तिम पेंशन/ अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान आरम्भ किया जायेगा। उक्त तिथि के उपरान्त अनन्तिम पेंशन का भुगतान विद्युत कम्पनियों के स्तर पर नही किया जायेगा।

4- उक्त मद मे होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक की अनुदान सं0-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-200-अन्य पेंशन-05-राज्य विद्युत परिषद के विघटन के पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक सुविधाएं-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के नामे डाला जायेगा।

5- कृपया तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करनें का कष्ट करें।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-48/एक्स-2018 दिनांक 20 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या- /2018/810(1)/24-पी-2-17-सा0(84)/2014, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोंशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
(5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) सचिव/निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

डा0 संजीव भारद्वाज
अनु सचिव